—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 3/2019

उनवान

चांद कंवर पत्नी राम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भोलू पुत्र लादू भांबी,
2. देवा पुत्र लादू (फौत)
2/1. महेन्द्र पुत्र उेवा
1/2. सोन्या पुत्र देवा
1/3. सूम्मा पुत्री देवा समसत जाति भांबी निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
3. तीजा पत्नी प्रभु,
4. आकाश पुत्र प्रभु,
5. मिटठु पुत्र लादू,
6. पप्पू पुत्र लादू, जाति भांबी नि0 बूबानिया, नसीराबाद,
7. कमला पुत्री लादू भांबी नि0 बूबानिया हाल नि. बनेवडा, नसीराबाद,
8. छगनी पुत्री लादू पत्नी देवा भांबी नि0 बूबानिया हाल नि. लोहागल अजमेर,
9. पानी पुत्री लादू जाति भांबी नि0 बूबानिया हाल नि. चाट ग्राम पंचायत भटियानी नसीराबाद,
10. मैनेजर यूनियन बैंक आफ इण्डिया बाघसुरी, नसीराबाद,
11. उप पंजीयक नसीराबाद,
12. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थीगण :— 1, 3 व 6 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
11 व 12 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 18.8.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के चौसाला खसरा नम्बर 2409 रकबा 2—4—0 के वंकिंग खसरा नम्बर 2958 रकबा 2—4—0 के हाल खसरा नम्बर 2401 रकबा 0.35 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 व 2018 से 2022 में चौसाला खसरा नम्बर 2409 रकबा 2—4—0 राणावत पत्नी शिव सिंह के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है। राणावत पत्नी शिव सिंह की मृत्यु हो गयी है, जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। प्रार्थीगण [illegible] से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी के [illegible] नम्बर 2958 रकबा 2—4—0 बिना दान, वसीयत, बैचान, ह[illegible] लादू पुत्र धीरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर हल राजस्व [illegible] त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नाम अंकित कर दी। जिस कारण अप्रार्थी[illegible] आराजी मुतनाजा प[illegible]ण के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 6 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा श्रीमान उप जिला अधिकारी द्वारा दिनांक 23.11.1975 को अप्रार्थीगण के पूर्वज लादू पुत्र धीरा को आंवटित की गयी। वादग्रस्त आराजी के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर भी प्रार्थीगण के पूर्वज को आंवटित किये गये। आवंटित दिनांक से ही अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :– ग्राम बूबानिया के चौसाला खसरा नम्बर 2409 रकबा 2–4–0 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 व 2018 से 2022 में चौसाला खसरा नम्बर 2409 रकबा 2–4–0 राणावत पत्नी शिव सिंह के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी लादू पुत्र धीरा को आंवटित की गयी। आराजी मुतनाजा के चौसाला जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में परिवर्तन है। उक्त परिवर्तन किस नामान्तकरण/आदेश से हुआ है, यह प्रकरण में स्पष्ट नही है। चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा खातेदारी होने के बाद वंर्किग जमाबंदी में बिना किसी आधार के सिवायचक दर्ज की गयी है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा का पूर्व व हाल इन्द्राज बिना किसी आधार के परिवर्तन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का हस्तांतरण किया जाता है तो प्रार्थीगण के हित प्रीाावित होगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम बूबानियाके हाल खसरा नम्बर 2401 रकबा 0.35 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:06:18 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
नसीराबाद